



राजस्थान सरकार  
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर  
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan  
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>  
e-mail: [jdpi.cce@gmail.com](mailto:jdpi.cce@gmail.com) Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांक: एफ4 (175)आकाशि/नि.सं./2006 /580

दिनांक: 21/02/2022

आदेश

राजा हम्मीर एज्युकेशन एण्ड मेडिकल हैल्थ वेलफेयर सोसायटी सवाईमाधोपुर द्वारा संचालित जमवाय कन्या महाविद्यालय सवाईमाधोपुर के विरुद्ध एक ही भवन में अनेक संस्थाओं के संचालन, विद्यार्थियों से अवैध शुल्क वसूलने एवं अन्य शिकायतों के संदर्भ में कार्यालय जिला कलेक्टर(सर्तकता) सवाईमाधोपुर के पत्रांक 1853 दिनांक 17.12.2021 द्वारा प्राप्त जॉच रिपोर्ट व विभाग के आदेश क्रमांक 761 दिनांक 20.12.2021 के अन्तर्गत प्राचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय भरतपुर व दो वरिष्ठ संकाय सदस्यों के दल द्वारा करवाई गई जॉच पश्चात् महाविद्यालय, प्राचार्य द्वारा क्रमांक:-रादेकमा/स्था/2019-20/4029 दिनांक 24.12.2021 द्वारा प्रेषित जॉच रिपोर्ट में उक्त शिकायतों के सत्य पाये जाने पर तथा तत्पश्चात् प्राकृतिक न्याय के पालनार्थ संस्था को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु जारी नियम-7 के नोटिस के एवज में प्रस्तुत स्पष्टीकरण के असंतोषप्रद पाये जाने के कारण संस्था को विभाग के आदेश क्रमांक:- एफ 4(192)आकाशि/अनु./2006/169 दिनांक 29.05.2012 द्वारा स्नातक कला संकाय में जारी किये गये स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र को छात्र हित के मध्येनजर सत्र 2022-23 से क्रमिक निरस्त किया जाता है।

संस्था को किसी प्रकार का पुनर्भुगतान/क्षतिपूर्ति नहीं दी जायेगी तथा राज्य सरकार किसी भी प्रकार का दायित्व वहन नहीं करेगी।

**अनापत्ति-निरस्तीकरण का आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।**

आयुक्त  
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सहायक, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर ।
4. कुल सचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा
5. सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय ।
6. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त-निदेशक ;नि.सं.  
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर



क्रमांक: एफ4 ( )आकाशि/नि.सं./2010 / 581


दिनांक: 21/02/2022

आदेश

जमवाय एज्युकेशनल ट्रस्ट, जमवाय कैम्पस, बाल मंदिर कॉलोनी, सवाईमाधोपुर द्वारा संचालित महाराजा हम्मीर कॉलेज, जुवाड, सवाईमाधोपुर के विरुद्ध एक ही भवन में अनेक संस्थाओं के संचालन, विद्यार्थियों से अवैध शुल्क वसूलने एवं अन्य शिकायतों के संदर्भ में कार्यालय जिला कलेक्टर(सर्तकता) सवाईमाधोपुर के पत्रांक 1853 दिनांक 17.12.2021 द्वारा प्राप्त जॉच रिपोर्ट व विभाग के आदेश क्रमांक 761 दिनांक 20.12.2021 के अन्तर्गत प्राचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय भरतपुर व दो वरिष्ठ संकाय सदस्यों के दल द्वारा करवाई गई जॉच पश्चात् महाविद्यालय, प्राचार्य द्वारा क्रमांक:-रादेकमा/स्था/2019-20/4029 दिनांक 24.12.2021 द्वारा प्रेषित जॉच रिपोर्ट में उक्त शिकायतों के सत्य पाये जाने पर तथा तत्पश्चात् प्राकृतिक न्याय के पालनार्थ संस्था को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु जारी नियम-7 के नोटिस के एवज में प्रस्तुत स्पष्टीकरण के असंतोषप्रद पाये जाने के कारण संस्था को विभाग के आदेश क्रमांक:- एफ 4( 622)आकाशि/नि.सं./2010/1324 दिनांक 09.06.2015 द्वारा स्नातक कला संकाय में जारी किये गये स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र को छात्र हित के मध्येनजर सत्र 2022-23 से क्रमिक निरस्त किया जाता है।


संस्था को किसी प्रकार का पुनर्भुगतान/क्षतिपूर्ति नहीं दी जायेगी तथा राज्य सरकार किसी भी प्रकार का दायित्व वहन नहीं करेगी।

**अनापत्ति-निरस्तीकरण का आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।**

  
आयुक्त  
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सहायक, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर।
4. कुल सचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
5. सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय।
6. रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त-निदेशक ;नि.सं.  
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर